

In the Court of Exclusive Special Excise Court- I, Banka

Spl. Excise - .....1005/21

Belhar.P.S - .....400/21

26.5.26

अभियुक्त M.M. Mohan Singh न्यायालय में आत्मसमर्पण कर उपस्थिति पत्र साथ नवीन शक्तिपत्र के दोष स्वीकार करने हेतु आवेदन दाखिल किये हैं। आवेदन की कॉपी विशेष लोक अभियोजक को दी गयी।

वाद पुकार पर उभयपक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा .....57(1) बि0म0नि0 एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। अभियुक्त का प्रथम अपराध है एवं अभियुक्त वाद में अपना दोष स्वीकार करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना है कि वाद की तिथि को रिकॉल करते हुए आज की तिथि में दोष स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जाए। सुना। विशेष लोक अभियोजक को सुना।

उभयपक्षों को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा .....57(1) बि0म0नि0 एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। अतः प्रार्थना स्वीकृत कर अभियुक्त को दोष स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात् फार्म 6 (A) का अवलोकन किया एवं उसे दर्ज किया। अभियुक्त को मो0 2500/- अर्थदण्ड लगाया जाता है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर 15 दिनों का साधारण कारावास की सजा दी जाती है।

Spl. Excise- I

26.5.26

अभियुक्त M.M. Mohan Singh की ओर से अर्थदण्ड की राशि मो0 2500/- नाजीर रसीद संख्या 0166939 दिनांक 26.5.26 के माध्यम से नजारत व्यवहार न्यायालय, बांका में जमा किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वाद की अग्रिम कार्यवाही समाप्त की जाती है। वाद में अन्य कोई अभियुक्त शेष नहीं है। अतः सम्पूर्ण अभिलेख का निष्पादन किया जाता है। कार्यालय सम्पूर्ण अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

Spl. Excise- I